तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टिए/5051/2006/चित्तोडगढ भगवाना बनाम लेहरीबाई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-04-2019	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति-** श्री के0के0 पुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थी श्री आर0पी0 शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तोडगढ द्वारा दिनांक 27-04-2006 को प्रकरण संख्या 86/04 शीर्षक भगवाना बनाम नन्दा में पारित आदेश के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश के द्वारा, प्रार्थी-गैर निगराकार संख्या-1,2 की ओर से प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया गया है। हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-वादी ने निगरानी मीमो में वर्णित तथ्यों को दोराने बहस दोहराते हुए कथन किया कि वादी/प्रार्थी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत प्रतिवादी/गैर निगराकार संख्या-1 के विरुद्ध वाद ग्राम सहनवा तहसील चित्तोडगढ स्थित आराजी खसरा नम्बरान 51, 54, 55, 56, 159, 160, 173, 176, 177, 179 कुल रकबा 2.51 है0 के 6/7 हिस्से के बाबत् प्रस्तुत किया। उक्त वाद में प्रार्थीगण/गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की ओर से प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया जिसे अविधिक रुप से अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के द्वारा स्वीकार किया गया है। योग्य अधिवक्ता का बहस में मुख्य रुप से यही कथन रहा है कि प्रार्थी-वादी की इच्छा के विरुद्ध अन्य किसी व्यक्ति को वादी के वाद में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। अप्रार्थी प्रकरण में किसी प्रकार से हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं और उनके द्वारा जो अन्य वाद प्रस्तुत किया गया था वह दिनांक 30-1-2006	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टिए/5051/2006/चित्तोडगढ भगवाना बनाम लेहरीबाई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को खारिज हो गया था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का प्रकरण में किसी प्रकार से हित निहित नहीं होने से, वे प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं, अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए तथा निगरानी को स्वीकार किया जाए। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी/आवेदक ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार हैं। वादी द्वारा तथ्यों को छिपाते हुये वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थी को प्रकरण में पक्षकार संयोजित करने का न्यायोचित आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इस आदेश में किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक नहीं है, अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाये। हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया व उद्धरित न्याय दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया हस्तगत प्रकरण व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 10 (2) से सम्बन्धित है। उक्त प्रावधान निम्न प्रकार है :– **10- (2) Court may stirke out or add parties.—** The Court may at any stage of the proceedings, either upon or without the application of either party, and on such terms as may appear to the Court to be just, order that the name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out, and that the name, of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose presence before the Court may be necessary in order to enable the Court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit, be added. आदेश 1 नियम 10 (2), सिविल प्रक्रिया संहिता के उपरोक्त सुसंगत प्रावधानों के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम पर ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टिए/5051/2006/चित्तोडगढ भगवाना बनाम लेहरीबाई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायसंगत प्रतीत हो, किसी भी पक्षकार का नाम काट सकेगा या जोड सकेगा, जो कि स्पष्ट रुप से न्यायालय का विवेकाधिकार का प्रश्न है। हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार करने का मुख्य आधार यही लिया है कि विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में वाद पत्र संख्या 179/03 विचाराधीन है, जिसमें वादीगण के रुप में प्रार्थीगण पक्षकार हैं। इसके अलावा अन्य कोई कारण प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के सम्बन्ध में निर्णय में नहीं बताया गया है कि प्रार्थीगण प्रकरण में किस प्रकार से हितबद्ध व व्यथित पक्षकार हैं। वाद पत्र संख्या 179/03 शीर्षक लेहरीबाई बनाम नन्दलाल की प्रमाणित फोटो प्रति जो प्रस्तुत की गई है उससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 30-1-2006 को यह वाद अदम हाजिरी में खारिज हुआ है। उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया है या नहीं इसका कोई हवाला निर्णय में अंकित नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चित्तोडगढ द्वारा दिनांक 27-04-2006 को पारित निर्णय रीजण्ड व स्पीकिंग नहीं होने से, निरस्त किया जाता है। निगरानी **स्वीकार** कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रति प्रेषित** किया जाता है कि वाद पत्र संख्या 179/03 के परिप्रेक्ष्य में एवं प्रार्थीगण के हितबद्ध व व्यथित होने के सम्बन्ध में स्पष्ट विवेचन करते हुये सकारण पुनः निर्णय पारित करें। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 26-04-2018 को उप खण्ड अधिकारी, चित्तोडगढ के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	